

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कैलाश उर्फ कैलाशी बनाम तुलसीराम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 168/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कैलाश उर्फ कैलाशी</u></p> <p>पिता श्री <u>काजा जी चमार</u></p> <p>निवासी- <u>खोख्या</u> तहसील <u>वल्सी</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>खोख्या (प.ह. खोख्या)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>खोख्या संख्या 36 में बंठित आराजीयात कीता 14 कुल रकबा 4.69 हे. तथा खोख्या संख्या 85 में बंठित आराजीयात कीता 2 कुल रकबा 1.27 हे. कुल कीता 14+2=16 कुल रकबा 5.9600 हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</u></p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>खोख्या (प.ह. खोख्या तह. वल्सी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>खोख्या संख्या 36 में बंठित आराजीयात कीता 14 कुल रकबा 4.69 हे. तथा खोख्या सं. 85 में बंठित आराजीयात कीता 02 कुल रकबा 1.27 हे. कुल कीता 14+2=16 रकबा 5.9600 हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-</u> रुपये अक्षर <u>2000/-</u> रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</u></p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल)</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>